रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली।

जेल गार्डेन रोड, इन्दिरा नगर, रायबरेली पिन–229001

(निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र)

मानचित्र संख्या /मा0अनु0/18–19/राविप्रा/दिनांक

अधिशासी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली
प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी

निर्माण का प्रकार तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र
निर्माण स्थल : गाटा सं0 223 मि. व 224 भूखण्ड का
कुल क्षेत्रफल 01.152 हे0 बरखापुर, रायबरेली

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत प्रस्तुत तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र स्वीकृत कर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्माण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है:–

1 स्वीकृत तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र के अनुसार ही निर्माण किया जायेगा तथा स्वीकृत उपयोग के लिए ही उक्त भवन का प्रयोग किया जायेगा। स्वीकृत तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण/भू–उपयोग अवैध निर्माण माना जायेगा।

2 प्रदत्त स्वीकृति की वैधता निर्गमन तिथि से 05 वर्ष तक के लिए होगी। निर्धारित 05 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर तीन वर्ष की समयवृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

3 यह स्वीकृति प्रस्तुत सूचनायें, अभिलेख के आधार पर दी जा रही है। उक्त प्रस्तुत सूचना आदि के गलत होने पर मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियन 1973 की यथा संशोधित अधिनियम 1973 की यथा संशोधित 1997 की धारा–15(9) के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

4 तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र की स्वीकृत की प्रति व अनुज्ञा पत्र दोनों निर्माण स्थल पर निर्माण के समय रखना अनिवार्य है, जिसे प्राधिकरण के प्रतिनिधि/अभियन्ता द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य है।

5 यदि निर्माण में वर्तमान भवन/शमन उपविधि एवं रायबरेली महायोजना का उल्लंघन होना पाया गया तो निर्माण को अनाधिकृत घोषित कर, उक्त अधिनियम की धारा–27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

6 भू–स्वामित्व, क्षेत्रफल, चौहद्दी, आकार तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।

7 सड़क विस्तार हेतु छोड़ी गयी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

8 मौके पर स्वीकृति सम्बन्धित विवरण अंकित कर एक सूचना पट लगाना अनिवार्य है।

9 प्रदान की गयी स्वीकृति का सम्बन्ध प्रस्तावित भवन के किसी भी स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं सेफ्टी तथा स्पेसिफिकेशन से नहीं है।

10 नेशनल बिल्डिंग कोड, लेबर एक्ट, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन निर्माण की अवधि में करना अनिवार्य है।

11 नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य है।

12 शासन से आवासीय भू–प्रयोग के परिवर्तन सम्बन्धी अधिसूचना/शासनादेश प्राप्त होने के पश्चात् ही स्वीकृत तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र के अनुसार विकास/भवन निर्माण कराया जाएगा।

13 विभागीय अभियन्ता की आख्यानुसार ग्राम बरखापुर, रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्थल के समीप एक परिषदीय स्कूल चल रहा है। इस योजना के आवंटियों के बच्चों द्वारा उक्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया जायेगा

14 फायर विभाग, प्रदूषण विभाग, अन्य विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र एजेन्सी को अपने स्तर से प्राप्त करना अनिवार्य है।

15 भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर निर्माण कार्य कराना होगा।

16 सीवरेज डिस्पोजल हेतु नियमानुसार प्रबन्ध करना होगा।

17 जल व्यवस्था करना अनिवार्य है।

18 समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का नियमानुसार प्रबन्ध करना अनिवार्य है।

19 तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र में दर्शित पार्किंग स्थल का उपयोग मात्र पार्किंग के रूप में किया जायेगा।

20 निर्माण के समय समस्त निर्माण सामग्री एवं मलवा को ढ़क कर रखना अनिवार्य है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

प्र0 सचिव
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।